

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 25, बुधवार, शाके 1947- जुलाई 16, 2025 Asadha 25, Wednesday, Saka 1947- July 16, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम विभाग

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 15, 2025

संख्या एफ 18 (25) श्रम/विधि/656:- राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 28 सपठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-27) की धारा 18 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 27.07.2009 जिसका प्रकाशन राजस्थान विशेषांक दिनांक 03.08.2009 में किया गया है. द्वारा गठित राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान में निम्नांकित व्यक्तियों को नियम 28 (1) तथा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नियुक्त करती है:-

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि

1. श्री गौरी शंकर व्यास, राजस्थान निर्माण कामगार संघ।
2. श्री बृज मनोहर पिथाणी, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)।
3. सुश्री चम्पा वर्मा, हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के नियोजको के प्रतिनिधि

1. श्रीमती अमृता गुप्ता, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (क्रेडाई)।
2. श्री प्रवीण गुप्ता, लघु उद्योग भारती, अजमेर।
3. श्री राजीव शर्मा, नगर परिषद ठेकेदार संघ, सीकर।

महामहिम राज्यपाल के आदेश से,

धर्मपाल सिंह,

अति.श्रम आयुक्त एवं,

पदेन संयुक्त शासन सचिव,

राजस्थान जयपुर।